संख्या-66/2024/678/सैंतीस-2-2024/5(2)/2018

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-28 मार्च, 2024

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-630/सा0-2/बारह-619(भाग-2)/2023-24, दिनांक-15.03.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-80/2023/1626/सैंतीस-2-2023/001-5(2)/2018, दिनांक-19.07.2023 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-15 के अधीन गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना योजनान्तर्गत 36 वृहद् गो संरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0-80.00 लाख की दर से वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश के संलग्नक में क्रमांक-11 पर अंकित वृहद् गो संरक्षण केन्द्र ग्रा. मानपुर, जनपद सीतापुर के स्थान पर वृहद् गो संरक्षण केन्द्र ग्रा. बगस्ती, वि.ख. रामपुर मथुरा, जनपद सीतापुर पढ़ा जाये।

2- शासनादेश दिनांक-19.07.2023 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-66/2024/678(1)/सैंतीस-2-2024/5(2)/2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी/मुख्य अथवा वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।